उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1
संख्या-97/2015/3833/92-1-2015-93एम/89टीसी-2,
लखनऊ: दिनांक: 20 अगस्त, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के कुल 51 सहायक/अधिशासी/अधीक्षण अभियंताओं को 26 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा के उपरान्त कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2732/92-2011-93एम/08, दिनांक 25-8-2011 द्वारा विभिन्न तिथियों में तृतीय ए0सी0पी0 के रूप में ग्रेड वेतन रू0 8700/- अनुमन्य कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। उक्त सहायक/अधिशासी/अधीक्षण अभियंताओं को ए0सी0पी0 की देयता के सम्बन्ध में निदेशक एवं मुख्य अभियंता द्वारा किये गये अनुरोध के अनुक्रम में पुनर्परीक्षण कराते हुये संस्तुति प्राप्त किये जाने हेतु दिनांक 30-7-2015 को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आहूत कर विचार किया गया। सम्यक् विचारोपरान्त पाया गया कि वित्तीय स्तरोन्नयन विषयक शासनादेश सं0-वे0आ0-2-561/दस-62(एम)/2008, दिनांक 04-5-2010 अथवा ए0सी0पी0 के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत समस्त शासनादेशों को निरस्त करते हुये निर्गत नवीनतम् शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-773/दस-62(एम)/2008, दिनांक 05-11-2014 के प्रस्तर-4(3) में ऐसे कार्मिक जो दिनांक 01-12-2008 को समयमान-वेतनमान की पूर्व व्यवस्था में 14, 16, 18 एवं 24 वर्ष की सेवा के आधार पर द्वितीय वैयक्तिक वेतनमान प्राप्त कर कार्यरत हैं, उन्हें उक्त लाभ अनुमन्य होने की तिथि से न्यूनतम् 02 वर्ष की सेवा सहित कुल 26 वर्ष की सेवा पूर्ण करने की तिथि अथवा दिनांक 01-12-2008, जो भी बाद में हो से तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य कराये जाने का प्राविधान है। कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 25-8-2011 द्वारा अधोतालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित अधिशासी/अधीक्षण अभियंताओं को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में उल्लिखित तिथि से तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ अनुमन्य कराया गया है, जो ए0सी0पी0 विषयक दिशा- निर्देशों के अनुरूप नहीं है, क्योंकि स्तम्भ-4 में उल्लिखित तिथि को उक्त अधिशासी/अधीक्षण अभियंताओं की कुल 26 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होती है। कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 25-8-2011 इस सीमा तक त्रुटिपूर्ण है। अत शासन के पत्र संख्या-340/92-2015-93एम/89टीसी-2, दिनांक 20-01-2015 द्वारा पूर्व निर्गत कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 25-8-2011 पर शासन के अगले आदेश तक लगाये गये **Abeyance** को अब समाप्त करते हुये अधोतालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित अधिशासी/अधीक्षण अभियंताओं को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में उल्लिखित तिथि के स्थान पर अधोतालिका के स्तम्भ-5 में उल्लिखित उनकी कुल 26 वर्ष की सेवा पूर्ण होने की वास्तविक तिथि से तृतीय वित्तीय

http://shasanadesh.up.nic.in

स्तरोन्नयन के रूप में ग्रेड वेतन रू0 8700/- अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र0 सं0	नाम/पद नाम	सहायक अभियंता के पद पर योगदान की तिथि	कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 25-8-2011 द्वारा स्वीकृत तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन की तिथि	26 वर्ष की सेवा पूर्ण होने/तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता की तिथि
1	2	3	4	5
1	श्री राम प्रकाश सिंह, अधि0अभि0	21-11-1983	01-12-2008	21-11-2009
2	श्री अनिल कुमार गर्ग, अधि0अभि0	22-11-1983	01-12-2008	22-11-2009
3	श्री रवीन्द्र सिंह गंगवार, अधि0अभि0	09-09-1983	01-12-2008	09-09-2009
4	श्री शैलेष अग्रवाल, अधि0अभि0	02-09-1983	01-12-2008	02-09-2009
5	श्री शीलेन्द्र कुमार, अधि0अभि0	30-12-1983	01-12-2008	30-12-2009
6	श्री एम0एम0 रिजवी, अधि0अभि0	06-09-1983	01-12-2008	06-09-2009
7	श्री एस0एन0 पाण्डेय, अधि0अभि0	07-09-1983	01-12-2008	07-09-2009
8	श्री कौशल किशोर मिश्रा, अधि0अभि0	30-08-1983	01-12-2008	30-08-2009
9	श्री कैलाश शंकर तिवारी, अधि0अभि0	18-09-1984	01-12-2008	18-09-2010
10	श्री जगदीश प्रसाद, अधि0अभि0	25-11-1985	25-11-2009	25-11-2011
11	श्री दिनेश कुमार, अधि0अभि0	02-07-1985	02-07-2009	02-07-2011
12	श्री राजेन्द्र प्रसाद, अधि0अभि0	09-05-1985	27-06-2009	09-05-2011
13	श्री रामनाथ सोनकर, अधि0अभि0	25-11-1985	10-11-2010	25-11-2011

2- उपरोक्त अधिशासी/अधीक्षण अभियंताओं को शासन के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 25-8-2011 द्वारा अनुमन्य करायी गयी तृतीय ए0सी0पी0 के अनुक्रम में निदेशक एवं मुख्य अभियंता के कार्यालय-ज्ञाप सं0-1985/ग्रा0अ0वि0/स्था0-1/समूह-क/ए0सी0पी0-वेतन नि0/2013-14, दिनांक 06-02-2014 द्वारा उपरोक्त अधिशासी/अधीक्षण अभियंताओं को, उनकी वास्तविक रूप से 26 वर्ष की सेवा पूर्ण होने की तिथि से तृतीय ए0सी0पी0 के

http://shasanadesh.up.nic.in

अनुरूप वेतन आहरित किये जाने के निर्देश पूर्व में ही दिये जा चुके हैं, किन्तु फिर भी यदि पूर्व में स्वीकृत ए0सी0पी0 के फलस्वरूप किसी अधिकारी को अधिक धनराशि का भुगतान हो गया हो, तो उक्त अधिक भुगतान की धनराशि की वसूली/समायोजन निदेशक एवं मुख्य अभियंता द्वारा सम्बन्धित अधिकारी के वेतन/देयकों से अवश्य कर लिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

3- शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2732/92-2011-93एम/08, दिनांक 25-8-2011 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

डा0 प्रभात कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या-97 /2015/3833(1)/92-1-2015, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3- वित्त नियंत्रक, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4- मुख्य अभियंता (पूर्वी/पश्चिमी), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5- संबंधित कोषाधिकारी।
6- संबंधित अभियंतागण द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
7- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिशिर कुमार यादव)
विशेष सचिव!

http://shasanadesh.up.nic.in